

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 181

दिनांक 22/01/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हनुमानराम वगैरा	बनाम	मानाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 55/2022

दिनांक : 27.01.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र आंटिया के मौजा लखवारा के खेत खसरा सं. 331/219, 304/241, 340/241 रकबा क्रमशः 19.0607, 01.0360, 00.5827 हैक्टयर एवं मौजा जूना लखवारा के खसरा सं. 310, 367/311, 365/311 रकबा क्रमशः 00.0971, 03.7231, 39.3759 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक/भू.अ./2025/ 182 to 185

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी हनुमानराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण मानाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 27/01/25

